



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 165487

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26946 / 2026

सत्यव्रत प्रजापति @ भीम प्रजापति

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अखिल रंजन

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सुभाष चन्द्र

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद तथा सूचनादाता की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्री राज कुमार गुप्ता को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 76/2026, धारा 191(2), 351(3), 115(2), 352, 105 भारतीय न्याय संहिता, थाना चौरा खास, जनपद कुशीनगर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक ने छह अन्य अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के पुत्र के साथ मारपीट की। सूचनादाता के पुत्र की दिनांक 27.04.2026 को मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर सात चोटें पाई गईं। चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। विसरा सुरक्षित रखा गया तथा उसे फॉरेंसिक जांच हेतु भेजा गया। स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् अर्जुन कुमार गौड़ और बुलेट गौड़, के कथनों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि मृतक सुबोध अत्यधिक मात्रा में शराब के नशे में था। मृतक के भाई टिंकू गुप्ता के कथन पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कथित घटना के समय मृतक शराब के प्रभाव में था। ऐसी परिस्थितियों में यह तर्क दिया गया कि मृतक की मृत्यु का कारण आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया हमला नहीं माना जा सकता। मृत्यु अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन के कारण हुई थी। चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त देवव्रत प्रजापति को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22752/2026 में दिनांक 21.07.2026 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक समानता के आधार पर जमानत का दावा करता है। आवेदक दिनांक 29.04.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर तथा सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार आवेदक ने छह अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के पुत्र के साथ मारपीट की थी। चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। विसरा सुरक्षित रखा गया तथा उसे फॉरेंसिक जांच हेतु भेजा गया। स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् अर्जुन कुमार गौड़, बुलेट गौड़ तथा मृतक के भाई ने कहा है कि घटना के समय मृतक शराब के प्रभाव में था। चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त देवव्रत प्रजापति को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक वर्तमान में तीन माह से अधिक समय से निरुद्ध है और विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। विशेष रूप से, राज्य की ओर से ऐसा कोई युक्तियुक्त आधार सामने नहीं लाया गया है जिससे यह आशंका हो कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने पर वह या तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा गवाह को भयभीत करेगा। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. आवेदक सत्यव्रत प्रजापति @ भीम प्रजापति, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

दिनांक : 07 अगस्त, 2026

एस.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।